रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

LIBRARY 21/12/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 454] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 15, 1999/भाद्र 24, 1921
No. 454] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 15, 1999/BHADRA 24, 1921

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1999

संख्यांक 37/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 637 (अ).—-केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है,देश में उपाप्त कम्प्यूटर और कम्प्यूटर उपांतियों को, जिसके अन्तर्गत प्रिंटर, प्लेटर, स्कैनर, मानीटर, की-बोर्ड और भंडारण एकक भी आते हैं, के न्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क से, जब उन्हें, यथास्थिति, अधिसूचना सं0 1/95, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 4 जनवरी, 1995 और 126/94, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 2 सितम्बर, 1994 के अधीन शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक, सौफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क और निर्यात प्रसंस्करण स्कीमों के अधीन प्रचालित किसी एकक द्वारा उपापन और उपयोग के दो वर्ष पश्चात् किन्हीं मान्यताप्राप्त वाणिज्येतर शैक्षिक संस्थाओं, रजिस्ट्रीकृत पूर्त अस्पतालों, लोक पुस्तकालयों, लोक वित्त पोषित अनुसंधान और विकास स्थापनों, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के संगठनों को दान के रूप में दिया जाता है तो निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट देती है, अर्थात् :-

(1) उस दशा में जहां आदाता कोई मान्यताप्राप्त वाणिज्येतर शैक्षिक संस्था, रजिस्ट्रीकृत पूर्त अस्पताल, लोक पुस्तकालय, लोक वित्त पोषित अनुसंधान और विकास स्थापन है तथा दाता यह प्रमाणित करता है कि आदाता, यथास्थिति, ऐसी कोई शैक्षिक संस्था, अस्पताल, पुस्तकालय या अनुसंधान और विकास स्थापन है; और

(2) आदाता उस प्रक्रिया के पालन करने का, जो उक्त माल को दाता के एकक से उसके परिसरों को परिवहन करने के लिए दाता के एकक पर अधिकारिता रखनेवाले, यथास्थिति, सहायक सीमा-शुल्क आयुक्त या उप

सीमा-शुल्क आयुक्त द्वारा विहित की जाए, वचनबंध करता है और ऐसे माल का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा और उक्त माल का दाता से उसे प्राप्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर उक्त सहायक आयुक्त या उपायुक्त की अनुज्ञा के बिना उसका विक्रय, व्ययन, दान, उधार, अदला-बदली या उसे उससे अलग नहीं किया जाएगा ।

[फा. सं. 305/159/97 एफ.टी.टी.]

श्रीनिवास टाटा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 1999

No. 37/99-CE

G.S.R. 637 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts indigenously procured computer and computer peripherals including printer, plotter, scanner, monitor, key-board and storage units from the whole of the duty of excise levaiable thereon under section 3 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) when donated by a unit operating under Hundred Percent Export Oriented Unit, Software Technology Park, Electronic Hardware Technology Park and Export Processing Zones Schemes under notification Nos.1/95-CE, dated the 4th January, 1995 and 126/94-CE, dated the 2nd September, 1994, as the case may be, two years after their procurement and use by the said units, to recognized non-commercial educational institutions, registered charitable hospitals, public libraries, public funded research and development establishments, organizations of the Government of India or

Government of a State or Union Territory subject to the following conditions, namely:-

(1) In case the donee is a recognized non-commercial educational institution, registered charitable hospital, public library, public funded research and development establishment, the donor certifies that the donee is such an educational institution, hospital, library or research and development establishment, as the case may be; and

(2) The donee undertakes to observe the procedure, as may be prescribed by the Assistant Commissioner of the Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, having jurisdiction over the donor's unit, for transport of the said goods from donor's unit to his premises and such goods shall not be used for commercial purposes, and shall not be sold, disposed of, gifted, loaned, exchanged or parted with, without the permission of the said Assistant Commissioner or Deputy Commissioner, as the case may be, within the period of five years from the date of receipt of the said goods to him from the donor.

[F.No. 305/159/97-FTT]
SRINIVAS TATA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.